ई–मेल / फैक्स अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः आर– 589 /05–जी0डी0 / 2021 दिनांक 11/12/2025

विषयः मिनजुमला गाटों का भौतिक विभाजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत है कि मिनजुमला गाटों का भौतिक विभाजन के तहत किसी भूमिधर द्वारा जोत के विभाजन के लिये वाद प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित 2015) की धारा 116 व 117 में प्राविधान विहित होने के साथ ही उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2016 के नियम–107, 108 व 109 में जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में विस्तृत प्रकिया निर्धारित की गई है। तत्क्रम में परिषदादेश सं0 –आर–219 / 05–जी0डी0 / 2021, दिनांक 22.02.2021 एवं सं0–आर–64(I) / 05–55 / 2022, दिनांक 27.02.2025 द्वारा पूर्व में ही इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जा चुके है।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 में विहित उक्त प्राविधानों एवं परिषद द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी परिषद स्तर पर इस सम्बन्ध में ऐसे कई प्रकरण संज्ञान में आये है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत किसी भूमिधर द्वारा जोत के विभाजन के लिये उपजिलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर उपजिलाधिकारी द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) का हवाला देते हुये या वाद को पोषणीय (maintainable) न मानते हुये खारिज कर दिये गये है। उक्त निर्णयों से क्षुब्ध होकर कई वादी / प्रतिवादीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष वाद योजित किये गये है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपजिलाधिकारी के आदेश को खारिज करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत जोत के विभाजन के लिये प्रस्तुत वाद में अंतिम डिक्री तैयार कराने के आदेश दिये गये है।

3. उक्त के दृष्टिगत मा0 परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश दिये गये है कि–

"यदि किसी भूमिधर द्वारा ऐसी जोत, जिसका वह सह–अंशधारी हो (समस्त सहखातेदारों के गाटें चाहें एक खातें में हो या अलग–अलग खाते में हो) के भौतिक विभाजन हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित 2015) की धारा 116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त वाद को उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) के आधार पर या पोषणीयता (maintainable) के आधार पर खारिज नही किया जायेगा। उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त वाद में समस्त पक्षकारों

को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये जोत के विभाजन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा तदनुसार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को संशोधन हेतु निर्देश दिये जायेगें।"

4. अतः इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–2, लखनऊ।
2–प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त परिषदादेश को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूरज कुमार यादव)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

ई–मेल / फैक्स अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः आर– ५४९ /05–जी0डी0 / 2021 दिनांक 11/12/2025

विषयः मिनजुमला गाटों का भौतिक विभाजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत है कि मिनजुमला गाटों का भौतिक विभाजन के तहत किसी भूमिधर द्वारा जोत के विभाजन के लिये वाद प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित 2015) की धारा 116 व 117 में प्राविधान विहित होने के साथ ही उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2016 के नियम–107, 108 व 109 में जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में विस्तृत प्रकिया निर्धारित की गई है। तत्क्रम में परिषदादेश सं0 –आर–219 / 05–जी0डी0 / 2021, दिनांक 22.02.2021 एवं सं0–आर–64(I) / 05–55 / 2022, दिनांक 27.02.2025 द्वारा पूर्व में ही इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जा चुके है।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 में विहित उक्त प्राविधानों एवं परिषद द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी परिषद स्तर पर इस सम्बन्ध में ऐसे कई प्रकरण संज्ञान में आये है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत किसी भूमिधर द्वारा जोत के विभाजन के लिये उपजिलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर उपजिलाधिकारी द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) का हवाला देते हुये या वाद को पोषणीय (maintainable) न मानते हुये खारिज कर दिये गये है। उक्त निर्णयों से क्षुब्ध होकर कई वादी / प्रतिवादीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष वाद योजित किये गये है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपजिलाधिकारी के आदेश को खारिज करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत जोत के विभाजन के लिये प्रस्तुत वाद में अंतिम डिक्री तैयार कराने के आदेश दिये गये है।

3. उक्त के दृष्टिगत मा0 परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश दिये गये है कि–

"यदि किसी भूमिधर द्वारा ऐसी जोत, जिसका वह सह–अंशधारी हो (समस्त सहखातेदारों के गाटें चाहें एक खातें में हो या अलग–अलग खाते में हो) के भौतिक विभाजन हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित 2015) की धारा 116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त वाद को उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) के आधार पर या पोषणीयता (maintainable) के आधार पर खारिज नही किया जायेगा। उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त वाद में समस्त पक्षकारों

को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये जोत के विभाजन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा तदनुसार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को संशोधन हेतु निर्देश दिये जायेगें।"

4. अतः इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–2, लखनऊ।
2–प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त परिषदादेश को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

11.12.25

(सूरज कुमार यादव)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।